

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोर्टकासिम (खैरथल-तिजारा)

अनवान ..... जगदीश ..... बनाम ..... राजेंद्र .....  
 किस्म मुकदमा ..... 52,188 ..... गु0न0 ..... 382 ..... सन् 2024

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हु  
की तामील में जारी

13.08.2024

वादी/अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 53,188 राज0काशतकारी अधिनियम 1955 राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया है। जिस पर राजस्व लिपिक द्वारा जॉच रिपोर्ट ली जाकर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीगण रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से सशुल्क तलबाना नोटिस अन्दर दो दिवस में पेश करे, अदम अनुपालना आदेश (वादी /अधिवक्ता द्वारा रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से सशुल्क तलबाना पेश नहीं करने के संबंध में विधिपूर्वक समुचित कारण सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने एवं तत्पश्चात् पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुज्ञेय अवधि हेतु शिथिलता दिये जाने की अवधि को छोड़ते हुये) दर्ज वाद पत्र काबिले खारिज होगा। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से सशुल्क तलबाना सम्मन जारी होकर पत्रावली अज अदालतेमाल के समक्ष वकालतन/असालतन पक्ष रखने हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 09.09.2024को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
कोर्टकासिम

09/09/2024

वादी मय अधिवक्ता  
उपस्थित। अतिरिक्त तलबी नहीं हुई है

जगदीश मुकुन्द  
30  
[Signature]

वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर  
निवेदन किया कि वादी अपना वाद पत्रावली  
नहीं चारता है। इस प्रसंग पर स्वेच्छा से  
विद्वान् कार्या - चारता। वादी को परमाणु  
अनुज्ञेय अधिवक्ता ने दी है। बाद में  
वादी तथा पत्रावली के केवलिक के वाद  
वादी का वाद With Draw किया जा सकता है।  
देकर वादी का वाद विद्वान् किया जाता है।  
वाद त दायु वाद निर्णय लेना  
पत्रावली का त दायु ल जमा आगामि दिनांक

का. उ. ओ. उपखण्ड अधिकारी

कोर्टकासिम (खैरथल-तिजारा) राज0